

संख्या : 4992/33-1-99-538/99

प्रेषक,

डॉ. योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

ग्रेजा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

जाजा से,
डॉ. ओम प्रकाश
सचिव

पंचायती राज अनुभाग - 1

विषय : ग्राम निधि के संचालन के बारे में।

परीक्षण,

कृपया सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं जनसहभागिता के संबंध में पंचायती राज अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या 3467 / 33-1-99-222/99, दिनांक 1 जुलाई, 1999 का सन्दर्भ में लेने का काट करें, जिसके प्रारा ग्राम निधि के संचालन के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि मुगलान के अदेश संशमन समिति से प्राप्त होने के उपरान्त ग्राम निधि से बनायी ग्राम प्रबन्धन एवं ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी जो ग्राम-पंचायत के सचिव भी हैं, के संयुक्त तत्त्वाधारों की जावें।

2. इस सन्दर्भ में मुझे चढ़ करने का लक्ष्य हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तटारता से उन्नीत किया जाये और इस सम्बन्ध में स्थिति से भासन को भी अवगत कराया जाये।

भवर्दीय,

डॉ. योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

संख्या : 4992(1) 33-1-99, लखनऊ।

महानगर विकास विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-
1. लखनऊ, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. ग्राम-पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

जाजा से,
डॉ. ओम प्रकाश
सचिव